भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2292

उत्तर देने की तारीख-09/08/2023

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों का समाधान

2292# **श्री राम नाथ ठाकुरः**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ वेतन समानता, बाल देखभाल अवकाश की मंजूरी और कार्यभार संभालने का समय बढ़ाने जैसे मामले केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास लंबित हैं; और
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के पास कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ वेतन समानता, बाल देखभाल अवकाश की मंजूरी और अपने कर्मचारियों के कार्यभार संभालने का समय बढ़ाने जैसी शिकायतों के निवारण के संबंध में एक पूर्ण शिकायत निवारण तंत्र है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्त कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ वेतन समानता संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए नियुक्ति एवं सक्षम प्राधिकारी हैं। केविसं ने प्रासंगिक नियमों के अनुसार शिकायतों के समय पर निपटान के लिए अत्यधिक सावधानी बरती है।

केविसं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज की स्थिति के अनुसार, कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ वेतन समानता की मांग संबंधी 31 शिकायतें लंबित हैं। बाल देखभाल अवकाश की मंजूरी और कार्यभार संभालने का समय बढ़ाने संबंधी कोई भी मामला लंबित नहीं है। विगत पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 2018-19 से 2022-23 तक कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ वेतन समानता संबंधी 79 शिकायतों का समाधान किया गया, बाल देखभाल अवकाश के 1998 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई और 244 मामलों में बताए गए तर्कसंगत कारणों एवं तत्कालीन प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के आधार पर कार्यभार संभालने का समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई।

*****